माननीय न्यायधीश आदर्श कुमार गोयल और एस.डी. आनंद जी के समक्ष

हरियाणा सरकार— अपीलकर्ता

बनाम

राम कुमार व अन्य , — उत्तरदायी

सी.आर.एल. ए. क्रमांक 655/डीबीए 2000

28 मई, 2008

भारतीय दंड संहिता, 1860- एस.एस. 304-बी, 498-ए-साक्ष्य अधिनियम, 1872- एस.एस. 106 और 114– उत्पीड़न के कारण आत्महत्या–सामान्य से भिन्न परिस्थितियों के कारण शादी के सात साल के भीतर मृत्यु– साक्ष्य में मामूली विसंगतियां–न्यायालय को छोटी विसंगतियों को अधिक महत्व दिए बिना साक्ष्य की सराहना करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा–भले ही साक्ष्य किसी का हो गवाह को आंशिक रूप से स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, पूरे साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है - परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है - 1872 अधिनियम की धारा 113-ए के तहत अनुमान लागू किया जा सकता है यदि यह दिखाया गया था कि मृतक को उत्पीड़न के अधीन किया गया था, भले ही ऐसा उत्पीड़न नहीं हुआ हो दहेज की मांग से संबंधित

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण साक्ष्य की सराहना के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, साक्ष्य की सराहना करते हुए, न्यायालय को छोटी विसंगतियों को अधिक महत्व दिए बिना यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। यदि किसी गवाह का साक्ष्य आंशिक रूप से स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तो भी संपूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को अनाज को भूसी से अलग करना होगा। (पैरा 12)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि मृत्यु शादी के सात साल के भीतर हुई थी और मृत्यु सामान्य के अलावा अन्य परिस्थितियों के कारण हुई थी। पीडब्लू 1 सिंह राम, पीडब्लू 5 रोहताश और पीडब्लू 6 ओम प्रकाश के साक्ष्य में कोई संदेह नहीं है कि मृतक को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा और यह उत्पीड़न ही है जिसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। (पैरा 16)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। जहां वैवाहिक घर में शादी के सात साल के भीतर मृत्यु हो जाती है, वहां 'प्रत्यक्ष प्रमाण' की तलाश करना व्यर्थ हो सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू करनी होगी। परिवार का कोई भी सदस्य, भले ही वह अपराध का गवाह हो, अन्य सदस्यों के खिलाफ गवाही नहीं देगा। पड़ोसी भी आम तौर पर गवाही देने से कतराते हैं। दुल्हन के माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्य घटनास्थल से दूर होने के कारण साक्ष्य नहीं दे सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी अपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। निस्संदेह, अभियोजन पक्ष पर बोझ है लेकिन पेश किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उस स्तर की नहीं है जितनी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक है। अपराध कैसे किया गया, इसकी ठोस जानकारी देने का बोझ घर के सदस्यों पर भी होता है। न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के आधार पर निर्विवाद तथ्यों से भी निष्कर्ष निकाल सकता है, जो न्यायालय को उस तथ्य के अस्तित्व को मानने का अधिकार देता है जिसके घटित होने की संभावना है। (पैरा 10)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया, कि ऐसे मामले में जहां धारा 304-बी आईपीसी के तहत अपराध नहीं किया गया था, धारा 306 आईपीसी के साथ-साथ धारा 498-ए आईपीसी के तहत सजा की अनुमति थी, अगर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। उक्त प्रावधान. हालाँकि धारा 304-बी आईपीसी के लिए दहेज की मांग के सबूत की आवश्यकता होती है, धारा 306 आईपीसी और धारा 498-ए आईपीसी दहेज की मांग के अभाव में भी आकर्षित होती हैं यदि धारा 498-ए आईपीसी के स्पष्टीकरण के संदर्भ में क्रूरता स्थापित की गई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत अनुमान तब लागू किया जा सकता है जब मृत्यु शादी के सात साल के भीतर हुई हो, यदि यह दिखाया गया हो कि मृतक को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था, भले ही ऐसा उत्पीड़न दहेज की मांग से संबंधित न हो। (पैरा 20)

अपीलकर्ता की ओर से सुल्लर, डी.ए.जी., हरियाणा।

सुश्री पुनीता सेठी, अभियुक्त के लिए

माननीय न्यायधीश आदर्श कुमार गोयल जी

(1) राज्य ने उत्तरदाताओं राम कुमार, सुमेर सिंह और श्रीमती को बरी करने को चुनौती दी है। 4 मार्च, 1997 को राज बाला उर्फ धप्पा की मृत्यु के लिए आईपीसी की धारा 304-बी/498-ए के तहत सरली पर आरोप लगाया गया।

(2) अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि राज बाला की शादी लगभग छह साल पहले आरोपी सुमेर सिंह से हुई थी। घटना के लिए. शादी के एक साल बाद आरोपी ने उसे प्रताड़ित किया और दहेज की मांग की, मृतक के पिता पीडब्ल्यू 1 सिंह राम को उत्पीड़न के बारे में पता चला और उन्होंने मांग को पूरा करने की कोशिश की। इससे आरोपित संतुष्ट नहीं थे। पीडब्ल्यू 1 सिंह राम अपनी बेटी को अपने घर ले आए और उसे दो से चार महीने तक रखा। अंततः माननीयों के हस्तक्षेप से मृतक का पुनर्वास हो सका। 3 मार्च 1997 को शिकायतकर्ता को सूचित किया गया कि राज बाला अपने वैवाहिक घर से लापता है। 4 मार्च, 1997 को पीडब्लू 1 सिंह राम और परिवार के अन्य सदस्यों ने आरोपी के घर का दौरा किया और पता चला कि राज बाला का शव खेतों में कुएं के पास एक पेड़ से

लटका हुआ था। सुबह 11.50 बजे मृतक के भाई चैनसुख ने एक्स.पीडी को बयान दिया कि राजबाला की शादी वर्ष 1992 में सुमेर सिंह से हुई थी। उसे कोई परेशानी नहीं थी। वह डिप्रेशन में रहती थी. 3 मार्च 1997 को दोपहर 2 बजे वह लकड़ी लाने गई, लेकिन वापस नहीं लौटी. आरोपियों के गांव आने पर उन्हें शव पेड़ से लटका हुआ मिला। राजबाला ने बच्चे को जन्म न दे पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। 5 मार्च, 1997 को, सिंह राम पीडब्लू1 ने एक आवेदन एक्स.पीबी को दिया कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी और कोरे कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए थे और वास्तव में आरोपियों ने राज बाला की दहेज हत्या की थी और पुलिस उनके साथ मिलकर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। मामला। उसी आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच की गई. एएसआई राज सिंह शव की बरामदगी वाले स्थान पर गए और जांच रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसका पोस्टमार्टम पीडब्लू7 डॉ. राकेश शर्मा ने किया। विसरा को रासायनिक जांच के लिए भेजा गया था. मृत्यु का कारण जहर बताया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी को सुनवाई के लिए भेज दिया गया।

(3) अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों की जांच की और दस्तावेज़ों को रिकॉर्ड पर रखा जिनका उल्लेख निर्णय के बाद के भाग में किया जाएगा।

(4) अभियुक्त ने अभियोजन के आरोपों से इनकार किया और कहा कि मृतक अवसाद में था और उसने इसी कारण से आत्महत्या कर ली। उसे कभी भी उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़ा।

(5) ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद माना कि अभियोजन का मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ और आरोपी को बरी कर दिया गया।

(6) ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कारणों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

(i) पीडब्लू 1 सिंह राम ने आवेदन उदाहरण पीबी में मृत्यु की तारीख का उल्लेख नहीं किया है, हालांकि अदालत में, उन्होंने 3 अप्रैल, 1990 की तारीख दी थी। पीडब्लू 5 रोहताश ने बताया कि शादी घटना से छह साल पहले हुई थी। पीडब्लू6 ओम प्रकाश, पीडब्लू1 सिंह राम के पड़ोसी ने शादी की तारीख नहीं बताई। विरोधाभासों को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि मृत्यु शादी के सात साल के भीतर हुई हो।

(ii) हालाँकि, मृत्यु सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन उसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, इसके बारे में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था। मृतक के भाई चैनसुख ने अपने बयान में पूर्व पीडी ने कहा कि मृतिका द्वारा बच्चे को जन्म न देने के कारण मृत्यु हुई है। चैनसुख की जांच नहीं की गयी. इस प्रकार, उत्पीड़न के बारे में पीडब्लू 1 सिंह राम, पीडब्लू 5 रोहतास और पीडब्लू 6 ओम पाइकाश के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सका। उत्पीड़न के किसी विशेष उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया। उत्पीड़न का संस्करण मृत्यु से ठीक पहले का नहीं था। सुसाइड नोट Ex .PA साबित नहीं हुआ।

(iii) एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई।

(iv) मृत्यु का कारण जहर था जो फांसी के संस्करण से असंगत था।

(7) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(8) राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट ने यह मानकर गलती की कि सात साल के भीतर मृत्यु साबित नहीं हुई थी और यह भी मानने में गलती हुई कि मृत्यु से तुरंत पहले उत्पीड़न

साबित नहीं हुआ था। अभियोजन का मामला पूरी तरह से साबित हो गया था और किसी भी मामले में, पीडब्लू 1 सिंह राम, पीडब्लू 5 रोहतास और पीडब्लू 6 ओम प्रकाश द्वारा दिए गए संस्करण से, मृत्यु से तुरंत पहले उत्पीड़न साबित हुआ था। Ex.PA में चैनसुख के संस्करण को विधिवत समझाया गया था कि यह गलत बयानी पर दिया गया था और PW1 सिंह राम, PW5 रोहतास और PW6 ओम प्रकाश द्वारा दिए गए संस्करण की सत्यता के बारे में कोई संदेह पैदा नहीं हुआ। सुसाइड नोट Ex.PA ने भी उक्त संस्करण की पुष्टि की।

(9) अभियुक्त के विद्वान वकील ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया और **किशोरज लाई बनाम एमपी राज्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। (1), जिसमें बच्चे को जन्म न देने के कारण आत्महत्या की दलील को विश्वसनीय माना गया और यह माना गया कि आईपीसी की धारा 306 के तहत कोई मामला नहीं बनता है।

(10) हम अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए तर्कों में योग्यता पाते हैं।

(11) हम इस तथ्य से अवगत हैं कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हस्तक्षेप की अनुमति केवल तभी है जब ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कारण विकृत हों। साथ ही, जहां दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात होता है, अपीलीय न्यायालय का दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करना उचित होगा। शायद **मेन पाल बनाम हरियाणा राज्य** (2) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया है।

(12) ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण साक्ष्य की सराहना के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। साक्ष्यों की सराहना करते समय न्यायालय को छोटी-मोटी विसंगतियों को अधिक महत्व न देते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। यदि किसी गवाह का साक्ष्य आंशिक रूप से स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तो भी संपूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को अनाज को भूसी से अलग करना होगा। इन सिद्धांतों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (3) गंगाधर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, (4) यूपी राज्य में विधिवत दोहराया गया है। बनाम हरि मोहन, (5) भरवाडा भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य, (6) और काली राम बनाम एच.पी. राज्य, (7)।**

(13) अब हम रीओकार्ड पर महत्वपूर्ण साक्ष्य का संक्षिप्त संदर्भ दे सकते हैं।

(14) पीडब्लू 1 सिंह राम ने बताया कि राज बाला की शादी 3 अप्रैल 1990 को सुमेर सिंह के साथ हुई थी। उन्होंने पर्याप्त दहेज दिया था लेकिन एक साल बाद, आरोपियों द्वारा मृतक को परेशान किया जाने लगा। मृतक ने उन्हें प्रताड़ना के बारे में बताया। उन्होंने आरोपियों की मांगें भी पूरी कीं लेकिन उत्पीड़न जारी रहा। मृतिका अपने मायके आ गयी तथा 6/7 माह तक वहीं रही तथा अभियुक्तगण के आश्वासन पर माननीयों के हस्तक्षेप से उसका पुनर्वास हुआ। 3 मार्च, 1997 को उन्हें मृतक की मृत्यु के बारे में पता चला। उन्होंने एक आवेदन एक्स.पी.बी. जिरह में ऐसा कुछ भी पता नहीं चल सका जिससे उक्त गवाह द्वारा दिए गए बयान की सत्यता पर संदेह पैदा हो। केवल यह तथ्य कि अदालत में, मृत्यु की तारीख 3 अप्रैल, 1990 बताई गई थी और एफआईआर में, यह उल्लेख किया गया था कि मृत्यु छह साल के भीतर हुई थी, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं था कि विरोधाभास थे और इस प्रकार, मृत्यु साबित नहीं हुई। सात साल के भीतर. उक्त दोनों संस्करणों के अनुसार मृत्यु सात वर्ष के भीतर होती है। कोई अन्य संस्करण नहीं है. इस प्रकार, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मृत्यु सात साल के भीतर नहीं हुई थी।

(15) पीडब्लू 2 एचसी दया राम और पीडब्लू 3 कांस्टेबल सतबीर औपचारिक गवाह हैं। पीडब्लू5 रोहताश ने पीडब्लू1 सिंह राम द्वारा दिए गए संस्करण का समर्थन किया। पीडब्लू 6 ओम प्रकाश सिंह राम

पीडब्लूएल के पड़ोसी हैं, जिन्होंने सिंह राम पीडब्लूएल द्वारा दिए गए संस्करण का भी समर्थन किया। पीडब्ल्यू 7 डॉ. राकेश शर्मा ने राजबाला के शव का पोस्टमार्टम किया। 5 मार्च, 1997 को उन्हें मृत शरीर के गले पर पैर के निशान मिले। उन्होंने मृत्यु का कोई कारण नहीं बताया और रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह राय दी गई कि मृत्यु एल्युमीनियम फॉस्फाइड के सेवन के कारण हुई। प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में जहर मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। PW8 नित्यानंद पटवारी ने साइट प्लान तैयार किया। पीडब्लू 9 एसआई राज सिंह ने जांच की। पीडब्लू10 एचसी सुभाष चंदर भी आंशिक रूप से जांच में शामिल हुए। सुमेर सिंह के अनुसार, संभवत: मृतिका ने संतान न होने के कारण अवसाद में आकर आत्महत्या की होगी। अन्य आरोपियों ने भी यही दलील दी। मृत्यु जहर से हो सकती है और फाँसी से हुई भी हो सकती है या नहीं भी, यह सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में हुई है। इस बात से आरोपी की ओर से भी इनकार नहीं किया गया है.

(16) उपरोक्त साक्ष्यों के बायोडाटा से पता चलता है कि मृत्यु शादी के सात साल के भीतर हुई थी और मृत्यु सामान्य के अलावा अन्य परिस्थितियों के कारण हुई थी। पीडब्लूएल सिंह राम, पीडब्लू5 रोहताश और पीडब्लू6 ओम प्रकाश के साक्ष्य से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि मृतक को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था और यह उत्पीड़न ही था जिसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। पत्र एक्स.पीबी में, जिसे एफआईआर के रूप में माना गया था, सिंह राम पीडब्लूएल ने वही संस्करण दिया जो उन्होंने कोर्ट में दिया था और यह भी उल्लेख किया था कि पहले, गुमराह करके हस्ताक्षर लिए गए थे और पोस्टमार्टम के लिए वही आवश्यक थे। इसने Ex.PD में भिन्न संस्करण की व्याख्या की।

(17) ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता। जहां वैवाहिक घर में शादी के सात साल के भीतर मृत्यु हो जाती है, वहां प्रत्यक्ष प्रमाण की तलाश करना व्यर्थ हो सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू करनी होगी। परिवार का कोई भी सदस्य, भले ही वह अपराध का गवाह हो, अन्य सदस्यों के खिलाफ गवाही नहीं देगा। पड़ोसी भी आम तौर पर गवाही देने से कतराते हैं। दुल्हन के माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्य घटनास्थल से दूर होने के कारण साक्ष्य नहीं दे सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी अपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। निस्संदेह, अभियोजन पक्ष पर बोझ है लेकिन पेश किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उस स्तर की नहीं है जितनी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक है। अपराध कैसे किया गया, इसकी ठोस जानकारी देने का बोझ घर के सदस्यों पर भी होता है। न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के आधार पर निर्विवाद तथ्यों से भी निष्कर्ष निकाल सकता है, जो न्यायालय को उस तथ्य के अस्तित्व को मानने का अधिकार देता है जिसके घटित होने की संभावना है। ये सिद्धांत त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (8) पैरा 13 से 15, 18 और 22 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। साहेबराव बनाम महाराष्ट्र राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ लिया जा सकता है, (9) पैरा 12 और 15 में, पहले के मामले के कानून का संदर्भ दिया गया था:

"12 पवन कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (1998)3 एससीसी 309 में, इस न्यायालय ने देखा: 1998 एआईआर एससीडब्ल्यू 721, पैरा 18।"

...क्रूरता या उत्पीड़न शारीरिक नहीं होना चाहिए। यहां तक कि किसी दिए गए मामले में मानसिक यातना भी आईपीसी की धारा 304-बी और 498-ए के अर्थ के तहत इलाज और उत्पीड़न का मामला होगा। धारा 498-ए का स्पष्टीकरण (ए) स्वयं मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की क्रूरता को संदर्भित करता है... फिर से जानबूझकर किए गए आचरण का अर्थ है, जानबूझकर किया गया आचरण; इसका अनुमान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य से लगाया जा सकता है जिसे ऐसा माना जाएगा। 9. एक लड़की शादी के बंधन में बंधते समय आशा और आकांक्षा के साथ आने वाले अच्छे दिनों के सपने देखती है और अगर अगले ही दिन से पति उसे दहेज न लाने के लिए ताने मारने लगे और उसे बदसूरत कहने लगे, तो इससे बड़ी मानसिक यातना, उत्पीड़न या क्रूरता नहीं हो सकती। दुल्हन के लिए।"

गणनाथ पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य (2002) 2 एससीसी 619 में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेख किया है:

"क्रूरता की अवधारणा और इसका प्रभाव अलग-अलग व्यक्तियों में भिन्न होता है, यह उस व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। उपरोक्त धारा के तहत अपराध गठित करने के प्रयोजनों के लिए "क्रूरता" का भौतिक होना आवश्यक है। यहां तक कि मानसिक यातना या असामान्य व्यवहार भी किसी मामले में क्रूरता और उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है।"

मो. में. होशन और मां बनाम एपी राज्य (2002) 7 एससीसी 414, यह बताया गया था कि: 2002 एआईआर एससीडब्ल्यू 3795, पैरा 6.

"क्रूरता के दायरे में आने वाले किसी व्यक्ति पर शिकायतों, आरोपों या तानों का प्रभाव संवेदनशीलता जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है संबंधित व्यक्तिगत पीड़ित की स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि, पर्यावरण, शिक्षा आदि। आगे की मानसिक क्रूरता संवेदनशीलता की तीव्रता और ऐसी मानसिक क्रूरता का सामना करने के साहस या सहनशक्ति की डिग्री के आधार पर व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है..."

रमेश में कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 618 पैरा (22), इस न्यायालय ने इस प्रकार माना: 2001 एआईआर एससीडब्ल्यू 4282, पैरा 22।

"आईपीसी की धारा 498-ए और 306 स्वतंत्र हैं और अलग-अलग अपराध हैं। हालाँकि, किसी व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, किसी महिला के साथ क्रूरता करना धारा 498-ए के तहत अपराध हो सकता है

और हंस राज बनाम हरियाणा राज्य (2004) 12 के मामले में भी इसी तरह का आचरण हो सकता है। एससीसी 257 (पैरा 13 में), इस न्यायालय ने कहा कि: 12 2004 एआईआर एससीडब्ल्यू 1283, पैरा 14.

"...भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत, अभियोजन पक्ष को पहले यह स्थापित करना होगा कि संबंधित महिला ने अपराध किया है उसकी शादी की तारीख से सात साल की अवधि

के भीतर आत्महत्या और उसके पति (इस मामले में) ने उसके साथ क्रूरता की थी। अगर ये तथ्य स्थापित भी हो जाएं तो भी अदालत यह मानने के लिए बाध्य नहीं है कि आत्महत्या के लिए उसके पति ने उकसाया था। धारा 113-ए अदालत को मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान लगाने का विवेक देती है, जिसका अर्थ है कि जहां आरोप क्रूरता का है, उसे उस क्रूरता की प्रकृति पर विचार करना चाहिए जिसके अधीन महिला थी। आईपीसी की धारा 498-ए में "क्रूरता" शब्द के अर्थ के संबंध में। केवल यह तथ्य कि एक महिला ने अपनी शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या कर ली और वह अपने पति द्वारा क्रूरता का शिकार हुई थी, (स्वचालित रूप से इस धारणा को जन्म नहीं देती है कि आत्महत्या के लिए उसके पति ने उकसाया था। अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह मामले की सभी आदेश परिस्थितियों पर गौर करें। अदालत को जिन परिस्थितियों पर विचार करना है उनमें से एक यह है कि क्या कथित क्रूरता ऐसी प्रकृति की थी जिससे कामगार को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा सकता था या गंभीर चोट पहुंचाई जा सकती थी या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा हो सकता था... ....."

एक बार क्रूरता साबित हो जाने के बाद, निरंतरता की धारणा होती है, जब तक कि विपरीत साबित न हो।

(18) किशोरी लाई (सुप्रा) में अभियुक्तों के विद्वान वकील द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया वह तथ्यों के आधार पर भिन्न है। उसमें, विवाह के सात वर्ष के बाद मृत्यु को स्वीकार किया गया। अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों ने स्वीकार किया कि बच्चा पैदा न कर पाने के कारण वह अवसादग्रस्त थी।

(19) अमरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य में, (10) इस न्यायालय ने कहा कि जब एक दुल्हन एक लाश में बदल जाती है, तो उसके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों को यह बताना होता है कि यह किन परिस्थितियों में हुआ।

(20) यह अच्छी तरह से स्थापित है कि ऐसे मामले में जहां धारा 304-बी आईपीसी के तहत अपराध नहीं किया गया था, धारा 306 आईपीसी के साथ-साथ धारा 498-ए आईपीसी के तहत सजा की अनुमति थी, यदि उक्त के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। प्रावधान. हालाँकि धारा 304-बी आईपीसी के लिए दहेज की मांग के सबूत की आवश्यकता होती है, धारा 306 आईपीसी और धारा 498-ए आईपीसी दहेज की मांग के अभाव में भी आकर्षित होती हैं यदि धारा 498-ए आईपीसी के स्पष्टीकरण के संदर्भ में क्रूरता स्थापित की गई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत अनुमान लागू किया जा सकता है, जहां मृत्यु शादी के सात साल के भीतर हुई हो, अगर यह दिखाया जाए कि मृतक को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, भले ही ऐसा उत्पीड़न दहेज की मांग से संबंधित न हो। हीरा लाई बनाम राज्य (एनसीटी सरकार), दिल्ली, (11) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह देखा गया था:-

"14। आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:-

306. आत्महत्या के लिए उकसाना। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिए उकसाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

15. यह ध्यान दिया जा सकता है कि यद्यपि _____ धारा 306 आईपीसी के तहत कोई आरोप तय नहीं किया गया था, लेकिन के. प्रेमा एस. राव बनाम यादला श्रीनिवास राव (2003) में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जो कहा गया है, उसके मद्देनजर यह अप्रासंगिक है। (आई) एससीसी 217)।

16. मामले के तथ्यों पर भले ही धारा 304-बी आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखना मुश्किल है, लेकिन धारा 498-ए आईपीसी के साथ-साथ धारा 306 आईपीसी के संदर्भ में आरोपी अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्रियां हैं।

शांति (श्रीमती) बनाम हरियाणा राज्य (12) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:-

"6.....धारा 304-बी के तहत, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, यह दहेज हत्या है यह दंडनीय है और ऐसी मृत्यु शादी के सात साल के भीतर होनी चाहिए। धारा 498-ए में ऐसी किसी अवधि का उल्लेख नहीं है और पति या उसके रिश्तेदार शादी के बाद किसी भी समय महिला के साथ क्रूरता करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि धारा 304-बी के तहत आरोपित और बरी किए गए व्यक्ति को धारा 498-ए के तहत बिना किसी आरोप के दोषी ठहराया जा सकता है, अगर ऐसा कोई मामला बनता है...

(21) वर्तमान में मामले में, अभियुक्तों के पक्ष में सतर्क रुख अपनाते हुए भी, हम मृतक के पति को बरी करने में असमर्थ हैं।

(22) उपरोक्त के मद्देनजर, राम कुमार और श्रीमती को बरी किये जाने को बरकरार रखते हुए। सरली, मृतिका के सास-ससुर, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, हमने मृतिका के पति सुमेर सिंह को बरी कर दिया और उसे आईपीसी की धारा 306 और 498 ए के तहत दोषी ठहराया। उन्हें दोनों मामलों में तीन साल के लिए आरआई से गुजरने की सजा सुनाई गई है। हालाँकि, सजा समवर्ती होगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा।

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा